कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा ।

विज्ञप्ति - वास्ते यू.पी.एस. बैटरी

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पंत्राक XVI/CPC/e-courts/Allahabad दिनांकित 29.10.2015 के द्वारा यू.पी.एस. बैटरी की संख्या 152 (एक सौ बावन) (Exide,Luminous, Amron, Okaya) जो 12 वोल्ट 28 ए.एच. की हो , जिसकी कम से कम 48 माह गारन्टी/ वारन्टी हो क्रय हेतु तथा पुरानी बैटरी 12 वोल्ट 28 ए.एच. वापस खरीदने व बिना वापस खरीद अलग-अलग प्रकार से सील बन्द निविदायें दिनांक 08.03.2016 सांय 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । नियत समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा । प्राप्त निविदाये दिनांक 10.03.2016 को 4 बजे सांय क्रय समिति के समक्ष न्यायालय भवन के सभागार में खोली जायेंगी । निविदा हेतु धरोहर धनराशि रु० 25,00.00 नकद या बैंक ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर के रुप जो कि में माननीय जनपद न्यायाधीश गोण्डा के नाम हो, कैशियर , नजारत अनुभाग गोण्डा के पास जमा करना होगा, जो निविदा अस्वीकृत होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में वापस कर दिये जायेगें ।

बैटरियो का विवरण एंव निविदा के नियम एंव शर्ते माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आफिशियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय , गोण्डा की आफिशियल वेबसाइट www.gonda.nic.in पर भी उपलब्ध है । निविदा के नियम व शर्ते कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय , गोण्डा के नोटिस बोर्ड पर देखी बोर्ड पर देखी जा सकती है ।

(महेश नौटियाल)
सदस्य क्रय समिति
अपर जिला जज
गोण्डा ।

(सतेन्द्र कुमार)
सदस्य क्रय समिति
अपर जिला जज/
विशेष न्यायाधीश एस.सी. एस.टी. एक्ट
गोण्डा ।

(विष्णु कुमार शर्मा)
अध्यक्ष क्रय समिति
अपर जिला जज/
त्वरित न्यायालय कक्ष सं० 1
गोण्डा ।

(विनय आर्या)
सदस्य क्रय समिति
सिविल जज सी.डी.
गोण्डा ।

(राकेश कुमार यादव)
सदस्य क्रय समिति
अपर जिला जज
गोण्डा ।

(संजय कुमार)
सदस्य क्रय समिति
अपर जिला जज
गोण्डा ।

District Judge,
Gonda

प्रतिलिपि -

1. सेण्ट्रल प्रोजेक्ट को -अर्डिनेटर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
2. नोडल आफिसर (कम्प्यूटर), जनपद न्यायालय, गोण्डा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
3. जिला सूचना- विज्ञान अधिकारी गोण्डा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. कार्यालय जिला सूचना अधिकारी , गोण्डा को समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु ।

(महेश नौटियाल)
सदस्य क्रय समिति
अपर जिला जज
गोण्डा ।

(सतेन्द्र कुमार)
सदस्य क्रय समिति
अपर जिला जज/
विशेष न्यायाधीश एस.सी. एस.टी. एक्ट
गोण्डा ।

(विष्णु कुमार शर्मा)
अध्यक्ष क्रय समिति
अपर जिला जज/
त्वरित न्यायालय कक्ष सं० 1
गोण्डा ।

(विनय आर्या)
सदस्य क्रय समिति
सिविल जज सी.डी.
गोण्डा ।

(राकेश कुमार यादव)
सदस्य क्रय समिति
अपर जिला जज
गोण्डा ।

(संजय कुमार)
सदस्य क्रय समिति
अपर जिला जज
गोण्डा ।

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा ।

यू०पी०एस० के लिये (Exide,Luminous, Amron, Okaya) कम्पनी की सेफ पावर 12 वोल्ट, 28 ए०एच० की 152 बैटरियों हेतु

आवेदन पत्र / टेण्डर फार्म

नवीनतम पासपोर्ट साइज स्व- प्रमाणित फोटोग्राफ

टेण्डर वास्ते

यू०पी०एस० हेतु 152 (Exide,Luminous, Amron, Okaya) सेफ पावर बैटरिया, 12 वोल्ट, 28 ए०एच० की हो कम से कम दो वर्ष का ऑंन साइट वारन्टी (Onsite Warranty) हो क्रय किए जाने के साथ -साथ जनपद न्यायालय गोण्डा मे उपलब्ध 152 पुरानी बैटरियों को वापस खरीदने (Buy Back Scheme के अन्तर्गत) हेतु

अग्रिम जमा धरोहर राशि	2500.00 रु
अग्रिम धरोहर राशि जमा करने का तरीका	
बैटरी का नाम व स्पेशिफिकेशन	
बैटरी की आन साईट वारंटी का अवधि (जो न्यूनतम दो वर्ष हो)	
आवेदक फर्म का नाम	
आवेदक फर्म का पत्र व्यवहार का पूर पता	
आवेदक फर्म के कार्यालय का पूरा पता	
आवेदक फर्म से सम्पर्क हेतु मोबाइल नम्बर	
आवेदक से सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर	
आवेदक फर्म से सम्पर्क हेतु आवेदन फर्म की ई-मेल आई.डी.और /या अधिकृत व्यकित की ई-मेल आई.डी	
आवेदक फर्म क्या साझेतारी फर्म है या सोल प्रोपराइटरशिप फर्म है या प्राइवेट /पब्लिक लिमिटेड कम्पनी आदि है, कृपया विशिष्ट उल्लेश करें ।	
आवेदक फर्म का पंजीकरण संख्या - (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें)	
आवेदक फर्म का सेल्स टैक्स पंजीकरण संख्या - (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें)	
आवेदक फर्म का (Exide,Luminous, Amron, Okaya) बैटरी बेचे जाने हेतु सम्बन्धित कम्पनी से अधिकृत होने सम्बन्धित विवरण, जैसे की कम्पनी की	

डीलरशिप आदि का विशिष्ट उल्लेख करें। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें)	
एक पुरानी बैटरी वापिस लेते हुए एक नई बैटरी 12 वोल्ट 28 ए.एच. हेतु आवेदक फर्म द्वारा सभी खर्चो व करो को सम्मिलित करते हुए निविदा की नियम व शर्तो के अन्तर्गत प्रस्तुत मूल्य	
152 पुरानी बैटरियां वापिस लेते हुए 12 वोल्ट 28 ए.एच. हेतु आवेदक फर्म द्वारा सभी खर्चो व करो को सम्मिलत करते हुए निविदा की नियम व शर्तो के अन्तर्गत प्रस्तुत मूल्य	

निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के दो परिचय दाताओ के नाम व पता

1. हस्ताक्षर
   नाम
   पता

2. हस्ताक्षर
   नाम
   पता

यह निविदा प्रस्तुत करने से पहले मैने सभी नियम व शर्तो को भली -भाँति पढ़ लिया है और यह निविदा विज्ञप्ति कि नियम व शर्तो के अधीन प्रस्तुत की जा रही है । जितनी बैटरियो की संख्या आदेश प्रस्तुत किया जायेगा, उतनी संख्या में बैटरिया उपलब्ध करवायी जायेगी और बैटरियो की संख्या आदेश के अनुसार 152 से कम या ज्यादा हो सकती है , जिसके लिए हमारी सहमति है और इस बात को ध्यान मे रखते हुए निविदा प्रस्तुत की गयी है ।

आवेदक / टेण्डरदाता / निविदा प्रस्तुत करने वाली
फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा ।

यू०पी०एस० बैटरी हेतु निविदाओ के अनिवार्य नियम व शर्ते

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायालय गोण्डा हेतु (Exide,Luminous, Amron, Okaya) कम्पनी की सेफ पावर 12 वोल्ट 28 ए.एच. की 152 बैटरिया क्रय किये जाने के संबध में वित्त पथ अंक 2011 के भण्डार क्रय नियम पैरा 11 एंव 12 में निहित प्रावधानो के अधीन दिनांक 08.03.2016 को सांय 3 बजे तक पंजीकृत व अधिकृत फर्मो से सीलबन्द निविदाये आमंत्रित की जाती है ।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत व अधिकृत फर्म सेल टैक्स व राज्य को अदा किये जाने वाले अन्य करो हेतु पंजीकृत होनी चाहिए ।

3. निविदा प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत व अधिकृत फर्म को जनपद न्यायालय गोण्डा में बैटरियो स्थापित करने वाले स्थल पर उपरोक्त बैटरियो हेतु उनकी स्थापना के उपरान्त न्यूनतम दो वर्ष का आंन साइट वारन्टी (Onsite warranty)देना अनिवार्य है ।

4. जनपद न्यायालय गोण्डा मे उपलब्ध निम्नलिखित 152 बैटरियां इसी निविदा के साथ निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के द्वारा बाई बैक स्कीम के अन्तर्गत खरीदी जानी है , अतः उक्त 152 बैटरियो के खरीद मूल्य को ध्यान में रखते हुए ही निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म अपना मूल्य दर प्रस्तुत करें ।

जनपद न्यायालय गोण्डा में विक्रय / वापसी हेतु उपलब्ध पुरानी बैटरियो का विवरण -

(Exide,Luminous, Amron, Okaya) की 12 वोल्ट - 28 ए.च. की 152 बैटरिया

5. यू.पी.एस. की बैटरी हेतु सभी प्राप्त निविदायें दिनांक 10.03.2016 को ही उक्त समिति के समक्ष सांय 4.00 बजे जनपद न्यायालय गोण्डा के सभागार कक्ष में समिति द्वारा खोली जायेंगी । निविदा प्राप्त होने की नियत अन्तिम तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली किसी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म यदि चाहे तो अपने अधिकृत प्रतिनिधि को निविदाएं खोले जाने के समय भेज सकती है ।

6. निविदा प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत व अधिकृत फर्म सभी करो को सम्मिलत करते हुए ही अपना कोटेशन की दर और / या कर में कोई वृद्धि अनुमन्य नही होगी और दी गई कोटेशन / दर ही अन्तिम होगी ।

7. जनपद न्यायालय गोण्डा द्वारा (Exide,Luminous, Amron, Okaya) सेफ पावर यू.पी.एस की 12 वोल्ट 28 ए.एच. की 152 बैटरिया को क्रय किये जाने हेतु जारी निविदा आवेदन फार्म केन्द्रीय नजारत से अथवा जनपद न्यायालय गोण्डा का अधिकारिक वेबसाइट से अपलोड कर प्राप्त किये जा सकते है । यह निविदा फार्म 100.00 रु (एक सौ रु मात्र) का शुल्क केन्द्रीय नजारत से गोण्डा में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है और यह निविदा फार्म धरोहर / जमानत राशि अंकन 2500.00 के साथ जमा किया जाना है । उक्त निविदा फार्म शुल्क व निविदा धरोहर राशि या बैंक ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर के रुप में जनपद न्यायाधीश, गोण्डा के नाम देय है । जनपद न्यायालय गोण्डा की अधिकारिक वेबासाइट से निविदा फार्म डाउनलोड करने पर निविदा फार्म शुल्क डाउनलोड किये गये मूल निविदा फार्म के साथ नकद या बैंक ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर के रुप में माननीय जनपद न्यायाधीश के नाम धरोहर राशि सहित निविदा प्राप्त होने की नियत अन्तिम तिथि व समय से पूर्व केन्द्रीय नजारत गोण्डा में प्राप्त करवाने की जिम्मेदारी निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म की होगी।

8. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड - 5 के पैरा 71 के अनुसार धरोहर/ जमानत धनराशि को, राष्ट्रीय बचत पत्रो, राष्ट्रीय बैको के मियादी जमा रसीदों बैंक जमा रसीदें इत्यदि के रुप में भी " जनपद न्यायालय गोण्डा " के पक्ष में जमा किया जा सकता है ।

9. निविदाओ की नियम एंव शर्तो का किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय गोण्डा में समय 10.30 बजे से सांय 4.30 बजे तक अवलोकन कर प्राप्त किया जा सकता है या जनपद न्यायालय गोण्डा का अधिकारिक वेबासाइट पर अवलोकित की जा सकती है ।

10. निविदा के साथ जमा की गई धरोहर / जमानत धनराशि नकद अथवा उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत पत्र , राष्ट्रीयकृत बैको के मियादी जमा रसीद टेण्डर स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में वापसी कर दी जावेगी ।

11. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म निविदा सीलबन्द लिफाफे में नियत अन्तिम तिथि व समय से पूर्व केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय , गोण्डा में प्रस्तुत करें व सीलबन्द लिफाफे के ऊपर यू.पी.एस. बैटरियां हेतु निविदा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए फर्म के नाम का भी उल्लेख करें ।

12. समस्त बैटरियां आपूर्ति कर्ता को नजारत अनुभाग जजी , गोण्डा में स्वंय अपने व्यय / खर्चे पर पहुँचा कर न्यायालय में स्थापित करनी होगी और समस्त पुरानी बैटरियां अपने व्यय / खर्चे पर नजारत अनुभाग जजी गोण्डा से प्राप्त करनी होगी ।

13. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जिला जज गोण्डा में निहित है और इस सन्दर्भ में उनका निर्णय अन्तिम होगा ।

14. बैटरियों की आपूर्ति किए जाने की संख्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवाये गए बजट के अनुसार निविदाकर्ता फर्म को बतायी जायेगी. जो 152 बैटरियों की संख्या से घट या बढ सकती है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवाये गए बजट से अधिक क्रय राशि होने पर बैटरियों का क्रय मूल्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शेष बजट उपलब्ध करवाये जाने पर होगा ।

15. किसी भी विवाद की स्थित में न्याय क्षेत्र केवल मात्र जनपद न्यायालय गोण्डा को ही होगा ।

(महेश नौटियाल)
सदस्य क्रय समिति
अपर जिला जज
गोण्डा ।

(सतेन्द्र कुमार)
सदस्य क्रय समिति
अपर जिला जज/
विशेष न्यायाधीश एस.सी. एस.टी. एक्ट
गोण्डा ।

(विष्णु कुमार शर्मा)
अध्यक्ष क्रय समिति
अपर जिला जज/
त्वरित न्यायालय कक्ष सं० 1
गोण्डा ।

(विनय आर्या)
सदस्य क्रय समिति
सिविल जज सी.डी.
गोण्डा ।

(राकेश कुमार यादव)
सदस्य क्रय समिति
अपर जिला जज
गोण्डा ।

(संजय कुमार)
सदस्य क्रय समिति
अपर जिला जज
गोण्डा ।